

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश



मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 10 दिसम्बर, 2014
को पुरःस्थापित किये गये रूप में .

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २९ सन् २०१४

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१४

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
२. धारा ४-क का संशोधन.
३. धारा १४ का संशोधन.
४. धारा १८ का संशोधन.
५. धारा २० का संशोधन.
६. धारा २०-क का संशोधन.
७. धारा २४ का संशोधन.
८. धारा ३४-क का अंतःस्थापन.
९. धारा ३७ का संशोधन.
१०. धारा ४० का संशोधन.
११. धारा ४६ का संशोधन.
१२. धारा ५८ का संशोधन.
१३. धारा ६२ का संशोधन.
१४. अनुसूची-१ का संशोधन.
१५. अनुसूची-२ का संशोधन.
१६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २९ सन् २०१४

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (एक) के उपबंध १ अप्रैल, २००६ से लागू होंगे;

(ख) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (दो) के उपबंध १ अप्रैल, २००६ को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों को लागू होंगे;

(ग) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (तीन), १२ और १३ के उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे;

(घ) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध १६ सितम्बर, २०१४ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४-क में, उपधारा (३) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा ४-क का
संशोधन.

“परन्तु जहां ऐसी अपील का निपटारा स्थगन आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब व्यापारी के कारण नहीं हुआ है, व्यापारी द्वारा प्रत्येक छह कलेंडर मास या उसके भाग की कालावधि के स्थगन में वृद्धि के लिए, प्रथम अपील में आदेश पारित होने के पश्चात् व्यापारी से कुल अतिशेष देय के पांच प्रतिशत के समतुल्य रकम के भुगतान पर एक बार में अधिकतम छह कलेंडर मास की कालावधि के लिए स्थगन में वृद्धि करेगा.”

३. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

धारा १४ का
संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण : जहां किसी विनिर्माण की प्रक्रिया से अनुसूची १ के साथ-साथ अनुसूची २ का माल प्राप्त होता है, वहां आगत कर रिबेट की संगणना, आगत कर का अनुसूची १ और अनुसूची २ के ऐसे निर्मित मालों के मूल्य के अनुपात में विभाजन करने के पश्चात्, की जाएगी.”;

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(३) इस धारा के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर की रिबेट ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) के अधीन उसके द्वारा देय किसी कर, ब्याज और शास्ति के मददे समायोजित की जाएगी. और अतिशेष, यदि कोई हो, को पश्चात्वर्ती वर्ष में समायोजन के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा और यदि आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो सुसंगत वित्तीय वर्ष के कर निर्धारण के पश्चात् प्रतिदाय के रूप में प्रदान किया जाएगा.”

(तीन) उपधारा (६) में, खण्ड (नौ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(दस) उस माल के संबंध में, जिसके बिल, बीजक या केशमेमों में विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा उसमें यथावर्णित क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का क्रमांक उपदर्शित न किया गया हो.”

धारा १८ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १८ में,—

- (एक) उपधारा (४) में, खण्ड (घ) में, शब्द “पांच हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की राशि” के स्थान पर, शब्द “पचास हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात् रुपये एक हजार प्रतिदिन की राशि” स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (४क) में, शब्द “दस हजार” के स्थान पर शब्द “पचास हजार” स्थापित किए जाएं.

धारा २० का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(२) (क) इस धारा या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान, यदि आयुक्त का सामाधान हो जाता है कि कर का अपवंचन किया गया है या कर अपवंचन की संभावना है या कर दायित्व सही-सही प्रकट नहीं किया गया है या क्रय या विक्रय के किसी भी संव्यवहार को लेखबद्ध न करके या गलत तरीके से लेखबद्ध करके किन्हीं कालावधियों या कालावधि के संबंध में किसी व्यापारी द्वारा अधिक आगत कर रिबेट का दावा किया गया है, या किसी दावे को गलत तरीके से किया गया है, तो आयुक्त ऐसे व्यापारी को सूचना और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे संव्यवहार या दावे के संबंध में ऐसे व्यापारी के कर का निर्धारण कर सकेगा.

(ख) इस उपधारा के अधीन निर्धारण संबंधित वर्ष के संबंध में नियमित निर्धारण के अतिरिक्त होगा.

(ग) इस उपधारा के अधीन निर्धारित कर संबंधित वर्ष के किसी नियमित निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा.”.

धारा २०-क का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा २०-क में, उपधारा (१) में, शब्द, कोष्ठक और अंक “धारा २० की उपधारा (१) के परन्तुक में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक “धारा २० की उपधारा (१) के परन्तुक में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यापारी तथा धारा १४ की उपधारा (३) के अधीन आगत कर रिबेट के प्रतिदाय का दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न” स्थापित किए जाएं.

धारा २४ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २४ में, उपधारा (५) में, खण्ड (ख) में, कोष्ठक, अंक और शब्द “(४) तथा (५)” के स्थान पर, कोष्ठक, अंक और शब्द “(२), (४) तथा (५)” स्थापित किए जाएं.

धारा ३४-क का अंतःस्थापन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३४ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

कतिपय परिस्थितियों में निर्धारण प्रकरण पुनः खोलने की शक्ति.

“३४-क (१) जहां धारा २० की उपधारा (४) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यापारी की किसी कालावधि के लिए कर निर्धारण करने की कार्यवाही में, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) के अधीन घोषणा-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण व्यापारी के कर का उच्च दर से निर्धारण किसी आदेश द्वारा किया जाता है, तो उसे उसके अपील के अधिकार का परित्याग करने और उसके बदले में, ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर, निर्धारण प्राधिकारी को शेष घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु और समय, जो कि चौबीस कलेंडर मास से अधिक नहीं होगा, दिए जाने के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन और समय दिए जाने हेतु आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ व्यापारी द्वारा स्वीकार की गई रकम के साथ-साथ आवेदन किए गए और समय के प्रत्येक छह कलेंडर मास या उसके भाग के लिए विवादित अतिशेष के दस प्रतिशत के समतुल्य रकम के भुगतान का समाधानप्रद सबूत संलग्न न किया गया हो.

(३) उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, निर्धारण प्राधिकारी उसे यथाआवेदित और समय देगा और दिए गए समय के दौरान, शेष रकम की वसूली स्थगित रहेगी :

परन्तु व्यापारी, उसे दिए गये समय का अवसान होने के पूर्व और समय, जो कुल मिलाकर चौबीस कलेंडर मास से अधिक नहीं होगा, दिए जाने हेतु, उपधारा (२) की अपेक्षा के अनुपालन के पश्चात् आवेदन कर सकेगा.

- (४) उपधारा (३) के अधीन दिए गये समय के दौरान, व्यापारी निर्धारण प्राधिकारी को शेष घोषणा-पत्रों के साथ, उसका प्रकरण पुनर्निर्धारण हेतु पुनः आरंभ करने हेतु आवेदन कर सकेगा। ऐसा कोई आवेदन ऐसी कार्यवाही के दौरान केवल एक बार ही ग्रहण किया जाएगा।
- (५) उपधारा (४) के अधीन घोषणा-पत्रों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, निर्धारण प्राधिकारी व्यापारी द्वारा अब तक प्रस्तुत शेष घोषणा-पत्रों पर विचार करने के सीमित प्रयोजन के लिए प्रकरण पुनः आरंभ करेगा और उसके संबंध में, उपधारा (४) के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कलेंडर मास की कालावधि के भीतर, समुचित आदेश पारित करेगा।
- (६) जहां निर्धारित रकम की वसूली इस धारा के अधीन स्थगित रहती है और उपधारा (५) के अधीन विनिश्चय पर इस प्रकार स्थगित रकम पूर्णतः या भागतः यथावत् रखी जाती है, तो व्यापारी ऐसी रकम पर उस तारीख से जिसको कि मूल कर निर्धारण के आदेश के पश्चात् ऐसी रकम देय हो गई थी, उसके भुगतान की तारीख तक की कालावधि के लिए धारा २४ की उपधारा (६) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज चुकाने के दायित्वाधीन होगा."

९. मूल अधिनियम की धारा ३७ में, उपधारा (२) में शब्द "व्यापारी" के स्थान पर, शब्द "व्यापारी या व्यक्ति" स्थापित किए जाएं। धारा ३७ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ४० में, उपधारा (२) में शब्द "एक सौ" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" स्थापित किए जाएं। धारा ४० का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,—

धारा ४६ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (५) में, शब्द "अपील का विनिश्चय होने तक के लिए" के स्थान पर, शब्द "छह कलेंडर मास की कालावधि के लिए, और उसके पश्चात् व्यापारी द्वारा शेष रकम के पांच प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त रकम के भुगतान पर अधिकतम छह कलेंडर मास की कालावधि के लिए, स्थगन में वृद्धि कर सकेगा," स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (६) में, पूर्णविराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए, और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यदि व्यापारी द्वारा ऐसी अतिशेष रकम के तीस प्रतिशत के समतुल्य रकम का भुगतान कर दिया जाता है, तो अपील बोर्ड अतिशेष रकम की वसूली धारा ४-क के उपबंधों के अनुसार स्थगित कर देगा."

१२. मूल अधिनियम की धारा ५८ में, उपधारा (१) में, शब्द "तो ऐसे यान का चालक या भार साधक अन्य व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात् परिवहनकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात् प्रथम जांच चौकी अधिकारी से एक अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) विहित प्ररूप तथा रीति में अभिप्राप्त करेगा" के स्थान पर, शब्द "तो ऐसे यान का चालक या भारसाधक अन्य व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात् परिवहनकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात् अभिवहन में माल के बीजक, बिल या चालान या कोई अन्य दस्तावेज और पूर्ण विहित आवेदन-पत्र एवं परिवहनकर्ता द्वारा जारी चालान, बिल्टी या कोई अन्य दस्तावेज अपने साथ रखेगा तथा राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात् प्रथम जांच चौकी के जांच चौकी अधिकारी से एक अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) विहित प्ररूप तथा रीति में अभिप्राप्त करेगा" स्थापित किए जाएं। धारा ५८ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ६२ में,—

धारा ६२ का संशोधन.

- (एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "और माल का परिवहन करने वाले किसी व्यक्ति" के स्थान पर, शब्द "माल का परिवहन करने वाले किसी व्यक्ति या माल का भण्डारण करने वाले किसी व्यक्ति" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (१) में, शब्द “माल परिवहन करने वाला कोई व्यक्ति” के स्थान पर, शब्द “माल परिवहन करने वाला कोई व्यक्ति या माल का भण्डारण करने वाला कोई व्यक्ति” स्थापित किए जाएं;

(तीन) स्पष्टीकरण में, खण्ड (दो) पूर्णविराम के स्थान पर अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(तीन) “माल का भण्डारण करने वाला व्यक्ति” में किसी शीतागार, भाण्डागार, गोदाम या किसी अन्य ऐसे स्थान, जहां किराए या प्रतिफल के लिए माल भाण्डारित किया जाता है, के स्वामी या पट्टाधारी के अतिरिक्त, प्रबंधक, भारसाधक व्यक्ति सम्मिलित होंगे.”

अनुसूची-१ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

(एक) अनुक्रमांक १ क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

- “१ ख (१) श्रेषर
(२) लेवलर
(३) स्क्रैपर
(४) कल्टीवेटर
(५) प्लाऊ
(६) मेज शेलर
(७) पोटेटो प्लांटर
(८) मेज प्लांटर
(९) पोटेटो डिगर
(१०) ग्राउंडनट डिगर
(११) सीड ड्रिल
(१२) सीड कास्टर
(१३) फर्टीलाइजर कास्टर
(१४) रीपर
(१५) शुगर केन कटर
(१६) शुकर केन प्लांटर
(१७) पोस्ट-होल डिगर
(१८) हैरो
(१९) बंड फार्मर
(२०) रिजर
(२१) केज व्हील
(२२) पैडी पडलर

- (२३) चाफ कटर
 (२४) पाँवर टिलर
 (२५) सीड ग्रेडर एवं सीड ग्रेडर मशीन
 (२६) हार्वेस्टर
 (२७) पैडी ट्रांसप्लान्टर
 (२८) स्प्रेयर
 (२९) डस्टर
 (३०) सीड ब्रॉडकास्टर
 (३१) फर्टीलाइजर ब्रॉडकास्टर
 (३२) विनोवर
 (३३) प्रूनिंग इक्विपमेंट
 (३४) बेलर”;

(दो) अनुक्रमांक ८८ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“८९ घुघरू, घंटा, घड़ियाल, झांझ, मंजीरा, त्रिशूल, कमण्डल तथा देवी-देवताओं की मूर्ति (सोना, चांदी और अन्य उत्तम धातुओं से निर्मित को छोड़कर)”

१५. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में, भाग-दो में,—

अनुसूची-२ का संशोधन.

(एक) अनुक्रमांक १ के सम्मुख, कॉलम २ में, शब्द “शारीरिक रूप से कार्यान्वित नहीं किए जाने वाले या पशुओं द्वारा नहीं चलाए जाने वाले” का लोप किया जाए;

(दो) अनुक्रमांक ५ ग के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“५ घ. फ्लश डोर

५”;

(तीन) अनुक्रमांक २२ क के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“२२ ख. सेरामिक और विट्रीफाईड टाइल्स

५”;

(चार) अनुक्रमांक ३९ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(पांच) अनुक्रमांक ५० के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“५० क. औद्योगिक निवेश के रूप में उपयोग हेतु थर्मल इन्सुलेटर

५”;

(छह) अनुक्रमांक ५१ के सम्मुख, कॉलम (२) में, मद (४) में, उप मद (चार) के पश्चात् निम्नलिखित उप मद अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(पांच) डाक्यूमेंट स्कैनर”;

- (सात) अनुक्रमांक ५४ के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द और कोष्ठक “खोवा (मावा)” के स्थान पर, शब्द और कोष्ठक “खोवा (मावा), मक्खन” स्थापित किए जाएं;
- (आठ) अनुक्रमांक ५७ के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द “चिकित्सीय उपकरण/यंत्र और इम्प्लांट्स” के स्थान पर, शब्द “चिकित्सीय उपकरण/यंत्र, इम्प्लांट्स और एक्स-रे फिल्म” स्थापित किए जाएं;
- (नौ) अनुक्रमांक ७६ के सामने कॉलम (२) में, शब्द “सिलाई एवं बुनाई मशीन” के स्थान पर, शब्द “सिलाई की सुईयां, सिलाई एवं बुनाई मशीन” स्थापित किए जाएं;
- (दस) अनुक्रमांक ९० के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द “पॉवर टिलर, थ्रेशर, हार्वेस्टर” का लोप किया जाए.

निरसन
व्यावृत्ति.

तथा

१६. (१) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ४ सन् २०१४) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

- (२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिए विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण के भाग दो में अंतर्विष्ट कर प्रस्तावों को कार्यान्वित करने और कतिपय अन्य विषय जैसे विलंब से विवरणी प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने, विवरणी के साथ क्रय एवं विक्रय के ब्यौरे इत्यादि प्रस्तुत न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए उपबंध करने हेतु मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किए गए थे और अधिनियम के कुछ अन्य उपबंधों का युक्तियुक्तकरण किया जाना था.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ४ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम, कतिपय विषयों जैसे क्रयों तथा विक्रयों का इलैक्ट्रानिक रूप से सत्यापन करने, राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् परिवहनकर्ताओं द्वारा कतिपय दस्तावेज साथ रखने और शीतगृहों, भाण्डागारों आदि द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने से संबंधित कतिपय उपांतरणों के साथ लाया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ६ दिसम्बर, २०१४

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. "

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ३ के द्वारा आगत कर रिबेट समायोजित किए जाने हेतु राज्य सरकार को विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित की जा रही है।

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा।

अध्यादेश के संबंध में विवरण

विधान सभा में वर्ष २०१४-१५ के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिए गये भाषण के भाग दो में अंतर्विष्ट कराधान प्रस्तावों को क्रियान्वित करने तथा कतिपय अन्य मुद्दों जैसे विवरण पत्र विलंब से प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने, विवरणियों के साथ क्रय और विक्रय का विवरण प्रस्तुत न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने आदि के संबंध में मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित उपबंध किया जाना था तथा उक्त अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना था। इस हेतु मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ की धारा ४-क, १४, १८, २०, २०-क, २४, ३७, ४०, ४६, अनुसूची १ एवं अनुसूची २ में संशोधन तथा धारा ३४-क का अंतःस्थापन किया जाना आवश्यक हो गया था। चूंकि मामला अत्यावश्यक तथा और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था। अतः अध्यादेश त्वरित प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक था।

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।

उपाबंध

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) से उद्धरण

*

*

*

*

*

धारा ४ क (३) अपील बोर्ड के आदेश

- (३) धारा ४६ की उपधारा (६) के अधीन आवेदन पर, अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के गुणदोष पर विचार करने के तश्चात् ऐसे आदेश की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिवस की कालावधि के लिए स्थगन आदेश पारित कर सकेगा और अपील बोर्ड, उस आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा :

परन्तु जहां ऐसी अपील का निपटारा स्थगन आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलम्ब व्यापारी के कारण नहीं हुआ है, स्थगन की कालावधि में अपील का विनिश्चय होने तक वृद्धि कर सकेगा.

*

*

*

*

*

धारा-१४. आगत कर की रिबेट.

- (१) उपधारा (५) के उपबंधों और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, इस धारा में यथा उपबंधित आगत कर के रिबेट का दावा नीचे विनिर्दिष्ट की गई परिस्थितियों में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा,—

- (क) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची-२ के भाग-३ और भाग-३ क में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल, जो अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट है, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात्,—

- (१) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय; या
- (२) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय हेतु अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या खनन के लिए/में उपभोग या उपयोग; या
- (३) अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल की पैकिंग में पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग; या
- (४) अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में प्लांट, मशीनरी, उपस्कर तथा उनके पुर्जों के रूप में उपयोग; या
- (५) भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय हेतु धारा १६ के अधीन करमुक्त घोषित माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या पैकेजिंग के लिये/में उपभोग या उपयोग; या
- (५क) धारा १६ के अधीन करमुक्त घोषित माल के ऊपर उप खण्ड (५) में उल्लिखित से भिन्न विनिर्माण या प्रसंस्करण या पैकेजिंग के लिए/में, और विक्रय के संबंध में, उपभोग या उपयोग; या
- (५ख) प्लांट, मशीनरी, उपस्कर तथा उनके पुर्जों के रूप में विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण या वितरण के लिए/में उपभोग या उपयोग; या

(६) (एक) ऐसे माल, या

(दो) ऐसे माल से विनिर्मित या प्रसंस्कृत या उत्खनित माल, जो अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट है, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप में व्ययन, के लिये क्रय करता है, तब वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट,—

(एक) उपखण्ड (१), (२), (३), (४) और (५) में निर्दिष्ट माल के संबंध में; और

(दो) उपखण्ड (५-क), (५-ख) और (६) में निर्दिष्ट माल के संबंध में, जो ऐसे माल के क्रय मूल्य, आगत कर को छोड़कर के ४ प्रतिशत से अधिक है.

का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी की विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल जो कि अधिसूचित किए जाएं, के विनिर्माण में उपभोग किए गए माल के संबंध में और इस प्रकार विनिर्मित माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में, विक्रय से भिन्न रूप से व्ययन किए जाने पर, वह ऐसे आगत कर की राशि, जो २ प्रतिशत से अधिक है, के आगत कर रिबेट का दावा करेगा या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यह और कि अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट माल, जो अधिसूचित किए जाएं, के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपभोग किए गए माल के संबंध में और इस प्रकार विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल का भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप से व्यय किए जाने पर, वह ऐसे आगत कर की राशि जो २ प्रतिशत से अधिक है, के आगत कर रिबेट का दावा करेगा या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा.

.....

(३) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा इस धारा के अधीन आगत कर की रिबेट ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) के अधीन उसके द्वारा देय कर, ब्याज और शास्ति के मददे समायोजित की जाएगी और अतिशेष को, यदि कोई हो, पश्चात्तर्वर्ती वर्ष में देय कर, ब्याज और शास्ति के मददे समायोजन के लिये आगे बढ़ाया जाएगा :

परन्तु वह आगत कर रिबेट, जो संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के पश्चात् भी असमायोजित रह जाती हैं, प्रतिदाय के रूप में प्रदान की जाएगी.

.....

(६) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा,—

.....

.....

(नौ) धारा ९-क के अधीन अधिसूचित माल के संबंध में,

उपधारा (१) के अधीन आगत कर की रिबेट का दावा नहीं किया जाएगा या न ही उसे इसके लिए अनुज्ञात किया जाएगा.

*

*

*

*

*

धारा १८ विवरणियां.

.....

(४) (क) यदि उपधारा (१) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित कोई व्यापारी,—

.....

(घ) जहां,—

(एक) खण्ड (क) के उपखण्ड (तीन) के अधीन व्यतिक्रम करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कोई कर देय नहीं है; या

(दो) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी विवरणी के अनुसार देय कर का भुगतान समय पर करने के पश्चात् समय पर विवरणी देने में असफल रहता है;

तो आयुक्त, ऐसे व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निर्देश दे सकेगा कि वह पांच हजार रुपये के अधिकतम के अध्यक्षीन रहते हुए, व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिये पचास रुपये की राशि शास्ति के रूप में चुकाये.

.....

(४ क) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी विवरणी के साथ क्रय विक्रय का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त, ऐसे व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे यह निर्देश दे सकेगा कि वह शास्ति के रूप में ऐसे विक्रय और क्रय की कुल राशि (टर्न ओवर) के १ प्रतिशत के समतुल्य राशि, दस हजार रुपए के अधिकतम के अध्यक्षीन रहते हुए, चुकाए.

* * * * *

धारा २०. कर का निर्धारण.

(१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का कर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग होगा.

.....

धारा २०-क. स्वनिर्धारण.

(१) जहां धारा २० की उपधारा (१) के परन्तुक में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी,—

(क) किसी वर्ष की किसी भी कालावधि के लिये समस्त विवरणियां या पुनरीक्षित विवरणियां विहित रीति में और विहित समय के भीतर; या

(एक) ऐसे व्यापारी, जिसकी वार्षिक कुल राशि रुपये एक करोड़ से अधिक नहीं है, की दशा में, पश्चात्पूर्व वर्ष की ३१ जुलाई;

(दो) अन्य दशाओं में, पश्चात्पूर्व वर्ष की ३१ अक्टूबर, के पूर्व प्रस्तुत करता है, और

(ख) ऐसी विवरणियों या पुनरीक्षित विवरणियों के अनुसार देय कर तथा देय ब्याज भी, यदि कोई हो, संदत्त कर चुका है; और

(ग) धारा १८ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन विवरण विहित समय के भीतर प्रस्तुत कर चुका है;

वहां उस वर्ष के लिये ऐसे व्यापारी द्वारा दी गई विवरणियां या पुनरीक्षित विवरणियां, धारा १८ की उपधारा (५) और धारा १९ की उपधारा (६) के उपबंधों के अधीन जारी किये गये नोटिस में की गई अपेक्षाओं के अनुपालन के अध्यक्षीन रहते हुए स्वीकार की जाएगी और उसका कर निर्धारण धारा २० की उपधारा (१) के प्रयोजन के लिये किया गया समझा जाएगा:

* * * * *

धारा २४. कर, ब्याज, शास्ति तथा अन्य शोध्यों का भुगतान तथा उनकी वसूली.

.....

(५) कर की वह रकम—

(क)

(ख) जो धारा २० की उपधारा (४) तथा (५) के अधीन निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई है, उसमें से उस राशि को, यदि कोई हो, घटाकर जो व्यापारी या व्यक्ति द्वारा उक्त वर्ष के संबंध में पहले ही चुका दी गई है, और उसके साथ चुकाये जाने के लिये अपेक्षित ब्याज, यदि कोई हो, तथा ऐसी शास्ति, यदि कोई हो, जिसका भुगतान किए जाने का निर्देश धारा १८ की उपधारा (४) के खण्ड (ग) के अधीन दिया गया है; या

(ग)

व्यापारी या व्यक्ति द्वारा विहित रीति में उस तारीख तक चुकायी जाएगी जो आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिये विहित प्ररूप में, जारी की जाने वाली सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख साधारणतया ऐसी सूचना की तामील की तारीख से कम से कम तीस दिन की होगी.

.....

धारा ३४. एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने की शक्ति.

* * * * *

धारा ३७. प्रतिदाय.

* * * * *

(२) यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम या मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्र. ५२ सन् १९७६) या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. ७४) के अधीन देय किसी रकम को सरकारी खजाने में जमा करते समय व्यापारी द्वारा की गई गलती के कारण इस प्रकार चुकाई गई रकम का उस प्रयोजन के लिए लेखांकन नहीं किया जा सकता है जिसके कि लिए वह जमा की गई है, तो वह (आयुक्त) उपधारा (४) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए ऐसी रकम या तो नकदी में या किसी अन्य वर्ष के संबंध में व्यापारी से शोध्य कर की रकम के मद्दे समायोजन करके विहित रीति में प्रतिदाय करेगा.

* * * * *

धारा ४०. व्यापारियों द्वारा बिलों बीजकों या केशमेमों का दिया जाना.

.....

(२) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो आयुक्त ऐसे व्यापारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह प्रत्येक विक्रय के लिए, जिसके कि संबंध में ऐसा उल्लंघन हुआ है, अधिकतम पांच हजार रुपये के अध्वधीन रहते हुए, एक सौ रुपये की राशि शास्ति के तौर पर चुकाए.

* * * * *

धारा ४६. अपील.

-
- (५) शास्ति सहित या शास्ति रहित कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध या शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध कोई प्रथम अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि व्यापारी से शोध्य कुल अतिशेष में से, कर और अन्य रकम, जो व्यापारी द्वारा उससे शोध्य होना स्वीकार की गई हो, के साथ-साथ स्वीकार की गई रकम से अधिक शेष रकम का,

(एक) एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, पांच प्रतिशत, या

(दो) अन्य दशाओं में, दस प्रतिशत,

व्यापारी द्वारा नहीं चुका दिया गया है और अपील के ज्ञापन के साथ ऐसी रकम के भुगतान का समाधानप्रद सबूत संलग्न नहीं किया गया है और व्यापारी द्वारा कर तथा/ या शास्ति के अतिशेष की वसूली के स्थगन हेतु आवेदन करने पर, अपीलीय प्राधिकारी अपील का विनिश्चय होने तक के लिए अतिशेष की वसूली रोक सकेगा।

- (६) कोई द्वितीय अपील, अपील बोर्ड द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि प्रथम अपील में पारित किए गए आदेश के पश्चात् व्यापारी से शोध्य कुल अतिशेष में से ऐसे अतिशेष का बीस प्रतिशत नहीं चुका दिया गया है और अपील के ज्ञापन के साथ ऐसी रकम के भुगतान का समाधानप्रद सबूत संलग्न नहीं किया गया है और व्यापारी द्वारा अतिशेष रकम की वसूली के स्थगन हेतु आवेदन करने पर, अपील बोर्ड धारा ४-क के उपबंधों के अनुसार, के लिए अतिशेष रकम की वसूली रोक सकेगा।

* * * * *

धारा ५८. राज्य में से होकर सड़क द्वारा माल का अभिवहन तथा अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) का जारी किया जाना.

- (१) जब राज्य के बाहर के किसी स्थान से आने वाला तथा राज्य के बाहर के किसी अन्य स्थान को जाने वाला माल ले जाने वाला कोई यान राज्य में से होकर गुजरता हो, तो ऐसे यान का चालक या भारसाधक अन्य व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात् परिवहनकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात् प्रथम जांच चौकी के जांच चौकी अधिकारी से एक अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) विहित प्ररूप तथा रीति में अभिप्राप्त करेगा तथा राज्य में से अपने निर्गम के पूर्व उसे अंतिम जांच चौकी के जांच चौकी अधिकारी को परिदत्त करेगा, ऐसा न होने पर यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे यान द्वारा वहन किया गया माल परिवहनकर्ता द्वारा राज्य के भीतर बेच दिया गया है।

* * * * *

धारा ६२. निकासी, अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता और माल का परिवहन करने वाले किसी व्यक्ति पर नियंत्रण तथा ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति द्वारा जानकारी का दिया जाना.

- (१) प्रत्येक निकासी, अग्रेषण या बुकिंग एजेंट या दलाल या माल परिवहन करने वाला कोई व्यक्ति जो उसके कारबार के अनुक्रम में माल के हक के दस्तावेजों का हस्तन करता है या माल का परिवहन करता है या किसी व्यापारी के लिए या उसकी ओर से माल का परिदान प्राप्त करता है और जिसके कारबार का स्थान मध्यप्रदेश राज्य में है, अपने कारबार के स्थान की जानकारी, ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्रारूप में देगा, जो कि विहित किया जाये।

* * * * *

.....

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

.....

- (दो) “माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति” में, स्वामी के अतिरिक्त स्वामी का प्रबंधक, अधिकर्ता, चालक, कर्मचारी, माल लादने या उतारने के स्थान भारसाधक व्यक्ति, या किसी माल वाहन का जो कि अन्य स्थानों को ऐसा माल ले जा रहा हो, भार साधक व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति सम्मिलित होगा, जो पेशिती को ऐसे माल के पेशण का परिदान देता हो.

अनुसूची—१ (धारा १६ देखिए)

अ. क्र. (१)	माल का विवरण (२)	शर्तें तथा अपवाद (३)
१क	रोटावेटर	
८८	सेल्यूलर फोन के टॉक टाइम तथा सेवा प्रभार के पूर्व— भुगतान (प्रीपेमेंट) के लिए रिचार्ज वाउचर	

अनुसूची—२ (धारा ९ देखिए)

अ. क्र. (१)	माल का विवरण (२)	धारा ९ के अधीन कर दी दर (प्रतिशत) (३)
----------------	---------------------	---

भाग-दो

१	शारीरिक रूप से कार्यान्वित नहीं किये जाने वाले या पशुओं द्वारा नहीं चलाए जाने वाले कृषि उपकरण (अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न)	५
५ ग	सभी प्रकार के प्लायवुड, ब्लॉक बोर्ड, एम.डी.एफ. बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, लेमिनेटेड शीट जैसे की सनमाईका	५
२२ क	कोल एश जिसमें सिंडर सम्मिलित है	५
३९	घुंघरू, घंटा, घड़ियाल, झांझ, मंजीरा, त्रिशूल, कमण्डल तथा देवी-देवताओं की मूर्तियां	५
५०	इंसुलेटर्स	५

(१)	(२)	(३)
५१	कम्प्यूटर्स, टेलीप्रिन्टर तथा उनके पुर्जे एवं सूचना तकनीकी (आई.टी.) उत्पाद, अर्थात्— (४) अन्य उपकरण, अर्थात्— (चार) मल्टीमिडिया किट्स	५
५४	खोवा (मावा) तथा पनीर (चीज)	५
५७	चिकित्सीय उपकरण/ यंत्र और इम्प्लांट्स	५
७६	सिलाई एवं बुनाई मशीन तथा उनके पुर्जे और उपसाधन	५
९०	ट्रेक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर, हारवेस्टर, अनुलग्नक तथा उनके पुर्जे (जिसमें टायर, ट्यूब और फ्लेप सम्मिलित हैं)	५

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा.